झारखण्ड सरकार
परिवहन विभाग *Annexure-4*
एफ.एफ.पी.भवन, धुर्वा, राँची

पत्रांक–01/परि० वि०–21/2020– 1204 राँची, दिनांक–01.06.2020

प्रेषक,

के० रवि कुमार, भा०प्र०से०
सचिव,
परिवहन विभाग।

सेवा में,

सभी उपायुक्त, झारखण्ड।
सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, झारखण्ड।
पुलिस अधीक्षक (यातायात), राँची।
सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, झारखण्ड।

विषयः **Containment Zone के बाहर, "जिला के अंदर ऑटो रिक्शा/टैम्पो/ई–रिक्शा/मैनुअल रिक्शा को भाड़े पर चलाने की अनुमति के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि झारखण्ड सरकार के आदेश संख्या–671/CS, दिनांक–01.06.2020 के अनुसार Containment Zone के बाहर **"जिला के अंदर ऑटो रिक्शा/टैम्पो/ई–रिक्शा/मैनुअल रिक्शा को भाड़े पर चलाने की अनुमति होगी।"** इस क्रम में सभी ऑटो रिक्शा/टैम्पो/ई–रिक्शा/मैनुअल रिक्शा मालिक/ऑपरेटर को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित शर्त्तों के साथ इन्हें चलाने की अनुमति होगी :–

1. ऑटो रिक्शा/टैम्पो व्यवसायिक वाहन की श्रेणी में निबंधित होना चाहिए एवं सक्षम प्राधिकार से परमिट निर्गत होना चाहिए। परमिट ही उनका रूट पास माना जायेगा, इन्हें अलग से पास की लेने की जरूरत नहीं होगी। ई–रिक्सा की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत रूट पास उनका पास माना जायेगा एवं परमिट/रूट पास की प्रति ऑटो/ई–रिक्सा सामने वाले शीशे पर चिपकाया जाना अनिवार्य होगा।
2. ऑटो रिक्शा/टैम्पो/ई–रिक्शा/मैनुअल रिक्शा की बुकिंग प्रारंभ स्थान से गंतव्य स्थान के लिए होनी चाहिए। बीच में रोककर सवारी लेना प्रतिबंधित रहेगा। बुकिंग Sharing Basis पर मान्य नहीं होगा।
3. ऑटो रिक्शा/टैम्पो/ई–रिक्शा/मैनुअल रिक्शा के चालक को मास्क/फेस कवर और ग्लब्स लगाना अनिवार्य होगा।
4. ऑटो रिक्शा/टैम्पो/ई–रिक्शा/मैनुअल रिक्शा में स्प्रे सैनिटाइजर रखना होगा एवं प्रत्येक बार नए यात्री के बैठने के पूर्व सीटों, बार, अन्दर के सभी रॉड एवं यात्रियों के सम्पर्क में आने वाले वाहन के समस्त अवयवों (Components) को सैनिटाइज करना होगा।

5. ऑटो रिक्शा/टैम्पो/ई–रिक्शा/मैनुअल रिक्शा में चालक के अतिरिक्त निम्नांकित यात्री यात्रा के लिए अनुमान्य होंगे –

क्र0 सं0	ऑटो रिक्शा के प्रकार	अनुमान्य यात्री (चालक को छोड़ कर)
1.	चार व्यक्तियों तक की बैठान क्षमता	2
2.	सात व्यक्तियों तक की बैठान क्षमता	4
3.	ई–रिक्शा	2
4.	मैनुअल रिक्शा	1

6. बैठने के समय यात्रियों को Social Distancing का पालन करते हुए सीट के दोनों किनारे में बैठना होगा।
7. यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
8. यात्रा के दौरान यात्रियों/चालकों द्वारा धुमपान/पान/गुटका/खैनी खाना प्रतिबंधित रहेगा।
9. यात्रा के दौरान थूकना प्रतिबंधित रहेगा।
10. ऑटो रिक्शा/टैम्पो/ई–रिक्शा की चालक को यात्रा कर रहे यात्री की सूचना यात्री पंजी में निम्न प्रपत्र में दर्ज करनी होगी एवं उसे सुरक्षित रखना होगा तथा Contact Tracing के लिए प्रशासन द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध कराना होगा –

प्रपत्र

क्र० सं०	दिनांक	यात्री का नाम	पूरा पता	कहाँ से कहाँ यात्रा करना है।	मोबाईल न०

11. यात्रा करने वाले यात्री यात्रा करने वाले ऑटो रिक्शा/टैम्पो/ई–रिक्शा का निबंधन संख्या, चालक का नाम एवं मोबाईल नं० तथा साथ यात्रा करने वाले अन्य लोगों के नाम एवं मोबाईल नं० निश्चित रूप से अपने पास संधारित रखेंगे, जिसे Contact Tracing के लिए प्रशासन द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध कराना होगा।
12. यात्री एवं चालकों से अनुरोध है कि स्मार्ट फोन रहने पर वे आरोग्य सेतु एप Install करें एवं उसे On रखें।
13. उपर्युक्त अंकित सारे शर्त्त ऑटो/टैम्पो/ई–रिक्शा के परमिट/रूट पास के शर्त्त माने जायेगें एवं इसका उल्लंघन होने पर मोटरवाहन अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

सभी यात्रियों/ऑटो रिक्शा/टैम्पो/ई–रिक्शा चालकों/वाहन मालिकों से अनुरोध है कि वे उपरोक्त शर्त्तों का पालन अनिवार्यरूपेण करना सुनिश्चित करें।

अनुरोध है कि उक्त दिशा–निर्देशों का पालन कराने का कष्ट करें।

ह० 1/6/2020
सचिव,
परिवहन विभाग।

ज्ञापांक–01/परि० वि०–21/2020–1204 राँची, दिनांक–01.06.2020

प्रतिलिपि–सभी उप परिवहन आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि उक्त दिशा–निर्देश का सख्ती से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

ह० 1/6/2020
सचिव,
परिवहन विभाग।